बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 25.06.2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और समय–सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेज़ी से हो रहा शहरीकरण, लगातार होने वाला प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी (BLO) घर–घर जाकर सत्यापन करेंगे। पुनरीक्षण के दौरान आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा अब तक अपने स्तर पर पात्रता की जाँच की जाती रही है। अब तकनीक के विकास को देखते हुए, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक किया गया है कि ERO द्वारा संतुष्टि के आधार पर प्राप्त दस्तावेजों को ECINET पोर्टल पर अपलोड किया जाए। हालांकि, इन दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए इन्हें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ही देखा जा सकेगा।

यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है, तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) संबंधित मामले की जाँच करेंगे और उसके बाद ही ERO अपना निर्णय लेंगे। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ERO के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी (District Magistrate) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को यह निर्देशित किया है कि वे यह

सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन (PwD), गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास करेगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया सुगमता से संपन्न हो और मतदाताओं को कम से कम असुविधा हो। साथ ही, आयोग सभी राजनीतिक दलों से अपील करेगा कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति करें। BLAs की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यदि कोई विसंगतियाँ या त्रुटियाँ हों, तो उनका समाधान तैयारी के प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाए, जिससे दावे, आपत्तियों और अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मतदाता और राजनीतिक दल, दोनों ही किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, और केवल उनकी पूर्ण भागीदारी से ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया को सफलता एवं सुचारु रूप से संपन्न किया जा सकता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित हैः–

S. No.	Activity Description	Timeline / Deadline
1	**Distribution and Collection of Enumeration Forms-** House to House Veryfication Exercise	**25.06.2025 (Wednesday) to 26.07.2025 (Saturday)**
2	**Rationalization/Re-arrangement of Polling Stations** Finalization of proposed restructuring of section/part boundaries, location of polling stations and approval of polling stations (preferably not more than 1,200 electors per station)	**25.06.2025 (Wednesday) to 26.07.2025 (Saturday)**
3	**Updation of Control Table & Draft Roll Preparation**	**27.07.2025 (Sunday) to 31.07.2025 (Thursday)**
4	**Publication of Draft Electoral Roll**	**01.08.2025 (Friday)**
5	**Period for Filing Claims & Objections**	**01.08.2025 (Friday) to 01.09.2025 (Monday)**
6	**Disposal of Forms and Claims & Objections**	**By 25.09.2025 (Thursday)**
7	**Finalization Activities**	**By 27.09.2025 (Saturday)**
7(i)	Checking health parameters of the finalized electoral rolls and obtaining Commission's permission for final publication	
7(ii)	Updating database and printing of supplements	
8	**Final Publication of Electoral Roll**	**30.09.2025 (Tuesday)**

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश (जन सामान्य की जानकारी हेतु) निम्नवत् हैः–

1. घर–घर गणना (House to House Enumeration) से संबंधित प्रक्रियाः

- बी०एल०ओ० प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म (दो प्रतियों में) वितरित करेंगे और उन्हें भरने में मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे।
- बी०एल०ओ० कम से कम तीन बार दोबारा जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे।
- इच्छुक मतदाता प्री–फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म को **ऑनलाइन डाउनलोड** कर सकते हैं तथा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
- हर मतदाता को यह फॉर्म आवश्यक जानकारी व स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बी०एल०ओ० को देना होगा।
- बी०एल०ओ० द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद, एक प्रति अपने पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति पर स्वीकृति की रसीद देकर वह मतदाता को लौटा दी जाएगी।
- ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन भी घर पर होगा। यदि किसी मतदाता ने ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म और दस्तावेज अपलोड किए हैं, तो बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- बी०एल०ओ० द्वारा प्राप्त फॉर्म और संलग्न दस्तावेज BLO/ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और फिर संबंधित ईआरओ/एईआरओ को रिकॉर्ड हेतु जमा किए जाएंगे।

2. प्रारूप निर्वाचक नामावली (Draft Roll) का प्रकाशनः

- प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जिन्होंने हाउस–टू–हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा किए हैं या जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं और जिन्हें बीएलओ द्वारा सत्यापित किया गया है।
- जिन मतदाताओं ने समय पर फॉर्म नहीं जमा किया, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

3. फॉर्म समय पर जमा न करने वाले मतदाताओं के लिए विकल्पः

- यदि कोई मतदाता समय पर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाता है, तो वह दावा–आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म–6 और घोषणा पत्र (Annexure D) के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है।

4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायपालिका के सदस्य, जनप्रतिनिधि, घोषित पद धारक, और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल व लोक सेवा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि आवश्यक दस्तावेज दावा–आपत्ति के दौरान लिए जा सकें।
- प्रारूप प्रकाशन की सूचना (Form–5) के साथ ही अगले अहर्ता तिथि के लिए (1 अक्टूबर, 2025) अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे।

5. दावा–आपत्ति अवधि में पात्रता का गंभीर परीक्षण होगा:

- प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद, सभी प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 व 19 के आधार पर की जाएगी।
- यदि ई०आर०ओ० / ए०ई०आर०ओ० को किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है (प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता आदि के कारण), तो स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा।

6. अपील की व्यवस्था उपलब्ध:

- यदि ERO/AERO ने जाँच कर यह पाया कि प्रारूप सूची में शामिल कोई नाम मतदाता बनने के योग्य नहीं है, तो वह नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति ERO द्वारा नाम हटाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं।
- यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्णय से कोई मतदाता असहमत होता है, तो वह द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष कर सकता है। यह प्रक्रिया निर्वाचक नियमावली, 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित है।

7. निगरानी और जाँच:

- प्रत्येक BLO सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ 10 BLO में से प्रत्येक के 10% कार्य का सत्यापन करेंगे।
- ERO नियमित रूप से AERO, BLO सुपरवाइजर और BLO के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि कार्य सतही न हो और लापरवाह पदाधिकारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए।
- रोल ऑब्जर्वर द्वारा 250 फॉर्म (100 नाम जोड़ने, 100 हटाने, 50 सुधार) की सुपरचेकिंग की जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 फॉर्म का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

8. बी०एल०ओ० एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में नई IT सुविधाओं, मॉड्यूल्स और ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया की जानकारी हेतु सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बी०एल०ओ०, ई०आर०ओ०, ए०ई०आर०ओ० सहित संबंधित अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रणालियों का प्रशिक्षण सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक कार्यो से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मी को दिया जायेगा ताकि निर्वाचन कार्यों का ससमय सटीक संपादन किया जा सके।

9. मतदान केंद्र स्थान में बदलाव की प्रक्रिया सख्त होगी:

- किसी भी मतदान केंद्र के स्थान में परिवर्तन का प्रस्ताव तभी भेजा जाएगा जब उस स्थान की 100% भौतिक जाँच पूरी हो जाए और उसका लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड (अक्षांश और देशांतर) रिकॉर्ड किया जा चुका हो। सभी नए व बदले गए मतदान केंद्रों की जानकारी ECINET डैशबोर्ड पर अपडेट की जाएगी।

- BLO के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों की फोटो, स्थान विवरण और लैटिट्यूड/लॉन्गिट्यूड जानकारी ECINET ऐप में अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो।

10. परिवारवार क्रमबद्धता (Family Grouping):

- मतदाता सूची में एक ही परिवार के सदस्यों को क्रमबद्ध रूप में दर्शाया जाएगा। जहाँ पंचायत या नगरपालिका द्वारा घर संख्या नहीं दी गई है, वहाँ कल्पित (notional) घर संख्या अंकित की जाएगी और स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि यह अनुमानित है। मतदाता सूची में उल्लिखित पता विवरण हूबहू मतदाता पहचान पत्र (EPIC) में भी प्रतिबिंबित किया जाएगा।

11. राजनीतिक दलों के साथ समन्वयः

- SIR कार्यक्रम की घोषणा होते ही, CEO सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे और सहयोग का अनुरोध करेंगे।
- इन बैठकों की मिनट्स ऑफ मीटिंग, उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।
- राजनीतिक दलों से हर मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा, जो BLO के साथ पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करेंगे।
- CEO ECINet से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दावा–आपत्ति के निष्पादन की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे, ताकि आम नागरिकों को जानकारी मिल सके।
- फॉर्म–6, 6क, 7, और 8 के तहत प्राप्त सभी आवेदन CEO की वेबसाइट पर प्रतिदिन अपडेट किए जाएंगे।
- CEO द्वारा प्रारूप मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची, तथा दावा–आपत्तियों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी और राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी।
- CEO यह सुनिश्चित करेंगे कि SIR का कार्यक्रम मीडिया, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं RWA (रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) तक विधिवत रूप से पहुँचाया जाए।
- CEO/DEO/ERO, SIR का कार्यक्रम और दिशा–निर्देश मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र द्वारा भेजेंगे, ताकि उनकी जानकारी और भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- हर DEO द्वारा इस अवधि में प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें ERO द्वारा राजनीतिक दलों को साप्ताहिक सूची सौंपने की फोटो शामिल होगी।

12. SIR कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसारः

- SIR का पूरा कार्यक्रम विवरण के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
- राजनीतिक दलों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें जनता से दावा–आपत्तियाँ दर्ज कराने की अपील की जाएगी।
- मतदाता सूची का प्रारुप एवं अंतिम प्रकाशन होने पर जनता को विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि और यदि आवश्यक हो तो अपील कैसे करें, इसकी जानकारी दी जायेगी।

13. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (Rationalization of Polling Stations):

- DEO द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर प्रारंभिक मतदान केंद्र सूची पर चर्चा की जाएगी, और इसकी फोटो के साथ प्रेस नोट जारी किया जाएगा।
- आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, CEO द्वारा अंतिम सूची का समेकित प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

14. अंतिम मतदाता सूची का स्वरूपः

- ERO यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम मतदाता सूची ड्राफ्ट सूची और SIR के दौरान हुए परिवर्तनों का समेकन हो।
- अंतिम मतदाता सूची में SIR के दौरान किए गए सभी जोड़, संशोधन और विलोपन शामिल होंगे।
- संशोधित/हटाई गई प्रविष्टियों को उनके पुराने क्रमांक (Sl- No.) के सामने ही अपडेट करके दर्शाया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा और CEO की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

15. निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची का प्रयोगः

- नामांकन की अंतिम तिथि पर प्रत्याशियों को जो मतदाता सूची दी जाएगी, वह एकीकृत और अद्यतन सूची होगी।

16. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (Rationalization):

- प्रत्येक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता न हों, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
- यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी या प्राकृतिक बाधा पार करके मतदान केंद्र तक न जाना पड़े। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों, समूह आवास (Group Housing) और झुग्गी बस्तियों में सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए व्यापक सर्वे किया जा रहा है।
- सभी प्रस्तावित मतदान केंद्र स्थलों की 100% भौतिक जाँच की जा रही है ताकि भवन सुरक्षित, सुगम और आयोग के मानकों के अनुसार हो।
- राजनीतिक दलों से परामर्शः– नए मतदान केंद्रों के निर्धारण से पूर्व संबंधित राजनीतिक दलों से परामर्श लिया जाएगा ताकि पारदर्शिता और सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- मतदान केन्द्र पुनर्गठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

****